रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-743/2025/1968/22-2-2023-17(657)/2021

लखनऊ:दिनांक: 03 जुलाई, 2025

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी महिला बन्दी अनीता (बन्दी सं0-11541/16) पत्नी श्री सुभाष, जो ग्राम-नगला खुरू, थाना-जहानगंज, जनपद-फर्रूखाबाद का निवासी है, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-343/2011, भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 302/149, 342 के अन्तर्गत मा० न्यायालय विशेष न्यायाधीश (आव0वस्तु अधि0) कक्ष सं0-04, फर्रूखाबाद के आदेश दिनांक 28-11-2016 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, महिला बन्दी द्वारा दिनांक-17-03-2023 तक अपरिहार 11 वर्ष, 10 माह, 15 दिन तथा सपरिहार 13 वर्ष, 10, माह 07 दिन की सजा भोगी गयी है, संतोषजनक जेल आचरण, तथा दयायाचिका समिति द्वारा की गयी संस्तुति के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो, तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

शिव गोपाल सिंह

संयुक्त सचिव।

संख्या-743/2025/1968(1)/22-2-2023-17(657)/2021तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद।
3- पुलिस अधीक्षक, फर्रूखाबाद।
4- अधीक्षक, जिला कारागार, फतेहगढ़।
5- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश मिश्र

उप सचिव।